न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

13 / 2023

श्री हेमंत शर्मा अधिवक्ता राज0 उच्च न्यायालय जयपुर निवासी 2–च–10 कमला नेहरू नगर अजमेर रोड जयपुर राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 14.08.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑन लाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 11.04.2023 को प्रेषित / प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 258 दिनाक 14.06.2023 से लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

ग्राम–रामनगर घंतुरि, पटवार हल्क़ा रामनगर धतुरी, तहसील निवाई, टोंक, राजस्थान के खसरा नंबर 601 पर एक कुआ बना हुआ है उक्त कुआ किस के नाम से दर्ज है तथा उसका मालिकाना हक किसका है तथा उक्त कुआ के उपयोग तथा उपभोग करने का अधिकार किस किस को है सूचना लाइफ एंड लिबर्टी से सम्बन्ध रखती है. इस सन्दर्भ में प्रकरण मानवाधिकार आयोग में भी प्रकरण दर्ज करवा रखा है प्रार्थी लाइफ एंड लिबर्टी के संरक्षण हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संरक्षण के उद्देशय रखता है। अतः सूचना प्रावधानों के तहत 48 घंटो में उपलब्ध करावे। सूचना लाइफ एंड लिबर्टी से सम्बन्ध रखती है तत्काल उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को पत्र कमांक 507 दिनांक 23.06. 2023, 556 दिनांक 05.07.2023, 691 दिंनाक 24.07.2023 व 743 दिनांक 07.08.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई द्वारा आज दिनांक तक जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना / सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना

जिला कलेक्टर
टोंक

निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते